फा.सं. 4-181/2018-19/रा.म.आ.(प्रशा.)-188वीं बैठक
राष्ट्रीय महिला आयोग
भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र
नई दिल्ली-110025,

***

27 फरवरी, 2019

विषय: आयोग की 188वीं बैठक का कार्यवृत्त

तारीख 18 फरवरी, 2019 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 188वीं बैठक का कार्यवृत्त जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न हैं।

सलंग्न: यथा उपरोक्त

(प्रीति कुमार)
अवर सचिव

सेवा में:

1. अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव के निजी सचिव
2. प्रकोष्ठों के सभी प्रमुख/प्रभारी
3. सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, वेबसाइ में इसे अपलॉड करने के लिए
4. परामर्शदाता (रा.भा.) हिंदी में अनुवाद के लिए
5. कार्यालय प्रति
6. गार्ड फाइल

राष्ट्रीय महिला आयोग

तारीख 18 फरवरी, 2019 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में आयोग के नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 188वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थितः-

1. सुश्री रेखा शर्मा	अध्यक्ष
2. सुश्री कमलेश गौतम	सदस्य
3. सुश्री सोसो साइजा	सदस्य
4. सुश्री चंद्रमुखी देवी	सदस्य
5. सुश्री मीनाक्षी गुप्ता	सदस्य–सचिव

निम्नलिखित भी उपस्थितः-

1. श्री अशोली चलाई	संयुक्त सचिव
2. सुश्री ज्योति सिंघल	उप सचिव

निम्नलिखित भी उपस्थितः-

1. श्री रवीन्द्र कुमार	अनुसंधान अधिकारी
2. श्री हसीब अहमद	विशेष रिपोर्टर
3. सुश्री चेतना सोनी	अनुसंधान अधिकारी, एनआरआई प्रकोष्ठ
4. सुश्री कंचन खट्टर	वरिष्ठ समन्वयक, सीएंडआई प्रकोष्ठ
5. सुश्री लीलावती	वरिष्ठ समन्वयक, एनई प्रकोष्ठ
6. श्री बंसी लाल	सहायक (परामर्शदाता)

आरंभ में सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा आयोग की बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों का स्वागत किया।

वाल्यूम सं.1

कार्यसूची मद सं. 1:

तारीख 16 जनवरी, 2019 को आयोजित आयोग की 187वीं बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा तारीख 16 जनवरी, 2019 को आयोजित आयोग की 187वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 2:

पंजाब राज्य महिला आयोग को 2017-18 के दौरान 7,18,263 रूपये की कुल लागत पर 12 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में 1,18,263 रूपये (केवल एक लाख अठारह हजार दो सौ तरेसठ रूपये) का निर्मोचन।

आयोग ने नो□ कर लिया है और पंजाब राज्य महिला आयोग को 2017-18 के दौरान 12 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में 1,18,263 रूपये (केवल एक लाख अठारह हजार दो सौ तरेसठ रूपये) को भूतलक्षी प्रभाव से निर्मोचित करने का आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची मद सं. 3:

मणिपुर राज्य महिला आयोग को 2017-18 के दौरान 4,57,000 रूपये की कुल लागत पर 5 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में 1,57,000 रूपये (केवल एक लाख सत्तावन हजार रूपये) का निर्मोचन।

आयोग ने नो□ कर लिया है और मणिपुर राज्य महिला आयोग को 2017-18 के दौरान 5 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में 1,57,000 रूपये (केवल एक लाख सत्तावन हजार रूपये) को भूतलक्षी प्रभाव से निर्मोचित करने का आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची मद सं. 4:

मेघालय राज्य महिला आयोग को 2017-18 के दौरान 3,65,357 रूपये की कुल लागत पर 5 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में 65,357 रूपये (केवल पैसठ हजार तीन सौ सत्तावन रूपये) का निर्मोचन।

आयोग ने नो□ कर लिया है और मेघालय राज्य महिला आयोग को 2017-18 के दौरान 5 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में 65,357 रूपये (केवल पैसठ हजार तीन सौ सत्तावन रूपये) को भूतलक्षी प्रभाव से निर्मोचित करने का आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची मद सं. 5:

"हिंसा मुक्त गृह- महिला का अधिकार- 7 राज्य परियोजना" के अधीन 52,46,365 रू (केवल बावन लाख छियालिस हजार तीन सौ पैंसठ रूपये) की मंजूरी और निर्मोचन।

आयोग ने नो कर लिया है और "हिंसा मुक्त गृह- महिला का अधिकार- 7 राज्य परियोजना" के अधीन 52,46,365 रू (केवल बावन लाख छियालिस हजार तीन सौ पैंसठ रूपये) की मंजूरी और निर्मोचन के लिए आयोग द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची मद सं. 6:

हिंसा मुक्त गृह- महिला का अधिकार- दिल्ली परियोजना के अधीन 43,34,600 रू (केवल तैंतालिस लाख चौंतीस हजार छह सौ रूपये) की मंजूरी और निर्मोचन।

आयोग ने नो कर लिया है और हिंसा मुक्त गृह- महिला का अधिकार- कार्यसूची में दिए गए ब्यौरे के अनुसार कलैंडर वर्ष 2019 के लिए दिल्ली परियोजना प्रशिक्षुता कार्यक्रम के अधीन 43,34,600 रू (केवल तैंतालिस लाख चौंतीस हजार छह सौ रूपये) की मंजूरी और निर्मोचन के लिए आयोग द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची मद सं. 7:

स्वाधार गृहों के निरीक्षण का प्रोफार्मा

आयोग ने कार्यसूची पर विचार-विमर्श किया और अपने अधिदेश के निबंधनों के अनुसार स्वाधार गृहों का निरीक्षण करने के लिए प्रोफार्मा का अनुमोदन किया। यह विनिश्चय किया गया कि निम्नलिखित समय सूची के अनुसार जानकारी एकत्रित की जाएगी:

i. अनुमोदित प्रोफार्मा में जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी स्वाधार गृहों को तारीख 28 फरवरी, 2019 तक पत्र भेजे जाएंगे।

ii. तारीख 30 मार्च, 2019 तक स्वाधार गृहों से जानकारी प्राप्त की जाएगी।

iii. प्राप्त हुई जानकारी का संकलन 1 मई, 2019 तक किया जाएगा और आगे कार्रवाई करने का निर्धारण करने के लिए इसे आयोग के समक्ष रखा जाएगा।

iv. इसके साथ साथ राज्य सरकारों से स्वाधार गृहों की सूची को अद्यतन करने का अनुरोध किया जाएगा और सूची में इस प्रकार जोड़े गए स्वाधार गृहों के लिए जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

v. चार राज्यों का दौरा करके डाक्□र त्रिपुरना द्वारा बनाई गई रिपो□ों की सहायता से मानक प्रचालन प्रक्रिया बनाई जाएगी।

कार्यसूची मद सं. 8:

राष्ट्रीय महिला आयोग के जसोला स्थित कार्यालय में लगे हुए एअर कंडीशन सिस्□म के लिए मैसर्स ब्लू स□ार लिमि□ड को वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) प्रदान करना।

आयोग ने नो□ कर लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग के जसोला स्थित कार्यालय में लगे हुए एअर कंडीशन सिस्□म के लिए मैसर्स ब्लू स□ार लिमि□ड को वार्षिक अनुरक्षण संविदा प्रदान करने और तारीख 15.04.2019 तक इसे बढ़ाने के लिए आयोग द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची मद सं. 9:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 1,53,02,800 रू (केवल एक करोड़ तिरपन लाख दो हजार आठ सौ रूपये) की रकम के लिए 23 अनुसंधान प्रस्तावों का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन

आयोग ने नो□ कर लिया है और कार्यसूची में दिए ब्यौरे के अनुसार 23 अनुसंधान प्रस्तावों के लिए 1,53,02,800 रू (केवल एक करोड़ तिरपन लाख दो हजार आठ सौ रूपये) की रकम के प्रस्तावों का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन किया। आयोग ने औपचारिकताओं के पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए पहली किश्त के रूप में 61,21,120 रूपये (केवल इकसठ लाख इक्कीस हजार एक सौ बीस रूपये) निर्मोचित करने का भी अनुमोदन किया। यह विनिश्चय किया गया कि एक उचित निगरानी प्रणाली विकसित की जाए और उसे आयोग की अगली बैठक के समक्ष रखा जाए।

कार्यसूची मद सं. 10:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 1,14,86,150 रू की रकम के 59 सेमिनार प्रस्तावों का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन

आयोग ने नो□ कर लिया है और कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 1,14,86,150 रू की रकम के 59 सेमिनार प्रस्तावों (पूर्वोत्तर प्रदेश को छोड़कर 53 और पूर्वोत्तर प्रदेश से 06) का आयोग द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया गया। आयोग ने औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन रहते हुए 57,43,075 रू अर्थात् 50% की पहली किश्त निर्मोचित करने का भी अनुमोदन प्रदान किया । यह विनिश्चय किया गया कि एक उचित निगरानी प्रणाली विकसित की जाए और उसे आयोग के समक्ष अगली बैठक में रखा जाए।

कार्यसूची मद सं. 11:

सरोजनी नायडू सें□र फॉर वीमेन्स स□डीज़, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा ‘‘चैलेंजिस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन हायर एजुकेशनः पैट्रीआर्की पालिसी या पाव□ी’’ (“उच्चतर शिक्षा में मुस्लमान लड़कियों को चुनौतीः पितृसत्तात्मक समाज की नीति या गरीबी”) पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन

आयोग ने नो□ कर लिया है और कार्यसूची के पैरा 7 में दिए गए ब्यौरों के अनुसार (अर्थात् मंजूर की गई 2,80,000 रू की कुल रकम के स्थान पर 2,74,445 रू (केवल दो लाख चौहत्तर हजार चार सौ पैंतालिस रू)) की वास्तविक प्रतिपूर्ति के लिए सरोजनी नायडू सें□र फॉर वीमेन्स स□डीज़, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा ‘‘चैलेंजिस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन हायर एजुकेशनः पैट्रीआर्की पालिसी या पाव□ी’’ (“उच्चतर शिक्षा में मुस्लमान लड़कियों को चुनौतीः पितृसत्तात्मक समाज की नीति या गरीबी”) पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने के लिए आयोग द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची मद सं. 12:

संविदा के आधार पर मीडिया/सोशल मीडिया के परामर्शदाता की नियुक्ति

आयोग को यह जानकारी दी गई कि परामर्शदाता- मीडिया/सोशल मीडिया के पद के संबंध में विज्ञापन दिया गया है। आयोग ने नो□ कर लिया है और संविदा के आधार पर परामर्शदाता- मीडिया/सोशल मीडिया को नियुक्त करने के लिए और सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन कर दिया है। इस पद पर नियुक्ति की जाएगी और चयन किए गए अभ्यर्थी की बाबत आयोग द्वारा अनुमोदन करने का अनुरोध किया जाएगा।

वाल्यूम सं.1

कार्यसूची मद सं. 1:

शिकायत एवं अन्वेषण प्रकोष्ठ की मासिक रिपो▯

आयोग ने कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार शिकायत एवं अन्वेषण प्रकोष्ठ की बाबत मासिक रिपो▯ को नो▯ कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 2:

तारीख 10.02.2019 तक उपगत व्यय

आयोग ने कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार तारीख 10.02.2019 तक उपगत व्यय को नो▯ कर लिया है और निम्नलिखित मत व्यक्त किए है:

i. पूर्वोत्तर राज्यों की बाबत उपगत व्यय को बढ़ाया जा सकता है।

ii. विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुदान के निर्मोचन के लिए राज्य महिला आयोगों से संपर्क करने का प्रयास किया जाए।

कार्यसूची मद सं. 3:

i. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तीर्थांकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद के संबंध में तारीख 04.12.2018 को anonymousindian3078@gmail.com प्रेषित ई-मेल पर जांच/तथ्य पता लगाने वाले दल की रिपो▯।

आयोग ने कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार दो जांच रिपो▯ को नो▯ कर लिया है।

ii. तारीख 21 दिसंबर, 2018 को इंडिया ▯डे में 'कना▯क फार्म पर बंधुआ मजदूरों की भयावह स्थिति' शीर्षक से संबंधित समाचार पर जांच रिपो▯।

आयोग ने नो▯ कर लिया है और कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार जांच रिपो▯ का अवलोकन किया।

(मीनाक्षी गुप्ता)	(रेखा शर्मा)
सदस्य सचिव	अध्यक्ष, रा.म.आ.